संख्या: 10 /2019/ 50 बीपी /35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2019

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लघु सिंचाई विभाग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या- 29/2018/100बीपी/35-1-2018, दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 33603.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 5240.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1934.12 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। विवरण निम्नवत है :- (रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 में देय धनराशि	विभागीय मांग	अवमुक्त धनराशि
1	चेकडैमकानिर्माण	10054.00	1127.64	8926.36	2242.00	2242.00
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	13020.00	806.48	12213.52	2173.00	2173.00
3	नये डग/ ब्लास्टवेल का निर्माण	10529.00	0.00	10529.00	0.00	0.00
	योग	33603.00	1934.12	31668.88	4415.00	4415.00

एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में परियोजना के चालू अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु विभागीय मांग के अनुरूप द्वितीय किश्त के रूप में रू. 4415.00 लाख (चवालिस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग, भारत सरकार के पत्र सं.एफ नं. क्यू 11022/08/2015-एग्री.एफटीएस 2838 दिनांक 30 मई, 2018 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय - समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
5. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2018 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 10 /2019/ 50 बीपी (1) /35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ललितपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- /2019/ 50 बीपी (1) /35-1-2019 दिनांक 10 मई, 2019 का संलग्नक

	परियोजना का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रू. में)	लेखाशीर्ष
1	चेकडैम का निर्माण	2242.00	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र -800- अन्य व्यय -04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -82- लघु सिंचाई के अन्तर्गत चेकडैमों का निर्माण -24- वृहत निर्माण कार्य
2	तालाबों का आधुनिकीकरण	2173.00	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र -800- अन्य व्यय -04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -87- तालाबो का आधुनिकीकरण -24- वृहत निर्माण कार्य
3	नये डग/ ब्लास्टवेल का निर्माण	0.00	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र -800- अन्य व्यय -04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें -20- नये डग वेल का निर्माण -24- वृहत निर्माण कार्य
	योग	4415.00 (रूपये चवालिस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)	

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।